

उत्तर प्रदेश
BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH



(Statutory Body Constituted Under The Advocate Act, 1961)

अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण-पत्र

Advocate Enrolment Certificate

अस्थायी प्रमाण-पत्र २ वर्ष के लिए वैध

Provisional Certificate Valid for 2 Years

अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की

Delivered Under Advocates Act, 1961

धारा २२(१) के अंतर्गत प्रदत्त

Of Section 22(1)

क्रमांक - उ.प्र.०६२६७/१८

Enrolment No. - UP06267/18



प्रमाणित किया जाता है कि

Certified that

श्री तरुण अग्रवाल

SHRI. TARUN AGARWAL

पुत्र श्री दीपक अग्रवाल

S/O SHRI. DEEPAK AGARWAL

जनपद अलीगढ़ आज की तिथि से उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए गए तथा उनका नाम अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन बार कौंसिल द्वारा अनुरक्षित अधिवक्ता पंजिका में अंकित कर लिया गया।

District ALIGARH *from this date has been enrolled in Bar Council Of Uttar Pradesh and the name is entered in the roll Under Section 17 of the Advocate Act, 1961 practice is by Bar Council of Uttar Pradesh.*

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक १३/१०/२०१८ को बार कौंसिल द्वारा मुदांकित तथा हमारे हस्ताक्षर द्वारा प्रदान किया गया।

This certificate dated on 13/10/2018 *issued by Bar Council Of Uttar Pradesh delivered under by our seal & signature.*

Ramchandra Mishra

(Ram Chandra Mishra)
Secretary

Raghuendra Singh

(Raghendra Singh)
Advocate General of U.P.
Chairman